



# मथुरा पुलिस



## प्रेस नोट

दिनांक- 23 जुलाई, 2025

थाना बलदेव, जनपद मथुरा।

### OPERATION CONVICTION

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्तगण प्रत्येक को मा० न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100/-100/-रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया :-

थाना बलदेव, जनपद मथुरा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना बलदेव पर पंजीकृत मु०अ०सं० 256/2024 धारा 13 जुआ अधि० में आज दिनांक 23.07.2025 को मा० न्यायालय एसडी/एसीजेएम मथुरा द्वारा उपरोक्त मुकदमा में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1-मान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह 2-साहब सिंह पुत्र कोमल सिंह नि०गण अवैरनी थाना बलदेव मथुरा प्रत्येक को मा० न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100/- 100/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।